प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः—

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः— द्वितीय वृत्त, मेरठ**परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः**—21.05.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय—(तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	महाराजा अग्रसैन एजुकेशनल सोसाईटी, (रजि0), 119, बाग, भटियारी, जी0टी0 रोड, पालिका बाजार के पास गाजियाबाद, मो0 नं0—09810046733	अनिर्माण शुल्क माफ करने व निर्माण समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में		15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग, गाज़ियाबाद के पत्रांक 7303/ स0प्र0 गाजि0 दिनांक 15.9.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर मुख्यालय स्तर से लिया जाना है।	
2.	श्री उमेश गुप्ता, 142/5 फूलबाग कालोनी मेरठ, मो0 नं0—9410683540	योजना संख्या—3 शास्त्रीनगर मेरठ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या आई0एस0—117/3, 117/4, 118/1 व 118 को मिलाकर बैंकट हाल बनाने के सम्बन्ध में		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—5, मेरठ के पत्रांक 750/ जी—15/90 दिनांक 11.6.15 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है। उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु परिषद अधिवक्ता के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। बिन्दु सं0—02 करने के सम्बन्ध में है, जिसका परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है।	निस्तारित
3.	श्री उमेश गुप्ता, 142/5 फूलबाग कालोनी मेरठ, मो0 नं0—9410683540	परिचय पत्र खण्ड विकास अधिकारी (माछरा) द्वारा सत्यापित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	मेरठ जोन मेरठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	

4.	श्री बलदेव राज कपूर, 1/2 शास्त्रीनगर मेरठ,	योजना संख्या–7 शास्त्रीनगर सैक्टर–2 में अल्प आय वर्ग भवन संख्या–1/2 के साईट प्लान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 1309/ जी–19/ 41 दिनांक 06.6.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उक्त भवन के साईट प्लान/ बिल्डिंग प्लान दिनांक 06.6.15 को उपलब्ध करा दिये गये है। अतः परिषद दिवस में दिये गये उक्त पत्र के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही वांछित नहीं रह गयी है।	**निस्तारित**
5.	श्री भीकम सिंह राणा व अन्य, हरवंश विहार सरायकाजी गढ़ रोड मेरठ, मो0 नं0–9027050752	योजना संख्या–11 जागृति विहार विस्तार मेरठ में खसरा संख्या–47 व 48 के प्रतिकर के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 1174/ जी–19/ 37 दिनांक 21.5.15 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि जागृति विहार योजना सं0–11 में समाविष्ट खसरा सं0–47, 48 की 45.00 मी0 चौड़ी मास्टर प्लान सड़क हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) मेरठ द्वारा प्रकरण भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–30 के अधीन न्यायालय को सन्दर्भित किया जा रहा है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है। मा0 न्यायालय से भूमि का टाईटल तय होने के उपरान्त उनके द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। परिषद स्तर से प्रकरण में कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। तदानुसार परिषद दिवस में प्राप्त आपके संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 21.5.15 का निस्तारण किया जा रहा है।	निस्तारित
6.	श्री श्रीपाल सिंह पुत्र श्री चुन्नी लाल, 707 ए/6 तिरखा रोड जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0–9359065992	दिनांक 06.05.15 की रात्री को पुनः आवास विकास परिषदके अधिकारियों द्वारा बिल्डिंग मैटिरियल व शटरिंग के सामान पर बुल्डोजर चलाने व सामान		15	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–6, मेरठ के पत्रांक 796/ एम–13/ 29 दिनांक 29.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है	निस्तारित

		अस्त व्यस्त करने के सम्बन्ध में।			कि परिषद को कब्जा हस्तगत होने के पश्चात इस भूमि की देखरेख परिषद द्वारा की जा रही है। आपका कथन कि उपरोक्त भूमि पर अपने परिवार को भरण पोषण हेतु रोड़ी, बदरपुर, रेत, ईट, सैटरिंग आदि का कच्चा करोबार करता है तथा कुछ में फसल उगाता है। कथन मान्य नहीं है। जब से यह भूमि परिषद के कब्जे में है तब से इस पर किसी भी प्रकार का कारोबार नहीं हुआ। परिषद के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा आपको कोई धमकी आदि दिये जाने का कथन औचित्य पूर्ण नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की भूमि पूर्व से ही परिषद के कब्जे में है। आप उक्त भूमि को अपना बताकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। आपके द्वारा की गयी रिर्पोट के आधार पर कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज आपके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों से असन्तुष्ट थे, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 712/एम–11/ 74 दिनांक 15.5.15 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है।	
7.	श्री हरीश चन्द्र, 705/2 मंगल पाण्डे नगर मेरठ, मो0 नं0–9837028838	मंगल पाण्डे नगर योजना संख्या–1 सैक्टर–3 के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड संख्या–346/1/3 से 346/7/3 तक के विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, मेरठ के पत्रांक 863/ एम–13/30 दिनांक 16.6.15 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि मंगलपाण्डे नगर योजना सं0–01 के विकास कार्य जैसे सड़क, सीवर लाईन, वॉटर लाईन, विद्युत संयोजन आदि परिषद द्वारा पूर्व में ही पूर्ण कराकर नगर निगम को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।	निस्तारित
8.	श्री बलराम सिंह पुत्र श्री	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद से		15 दिन	मेरठ जोन मेरठ द्वारा कार्यवाही की	

	तारा चन्द, ग्राम प्रहलादगढ़ी, वसुन्धरा गाजियाबाद, मो0 नं0–09910669377	प्रभावित किसान विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवंटित हुयी इंगित दुकानों को निरस्त कर व उनका पंजीकरण बनाये रखने के सम्बन्ध में।			जा रही है।	